

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग,
चण्डीगढ़।

सेवा में

समस्त उपायुक्त,
हरियाणा राज्य में।

क्रमांक एस0बी0ए0-4 / 2019

7500-7521

दिनांक: 04-02-2019

विषय:-

चारान्द की भूमि गोशालाओं एवं नन्दीशालाओं की स्थापना एवं चारे हेतु उपलब्ध करवाने बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एस0बी0ए0.4-2018 / 51912-933, दिनांक 27-07-2018 द्वारा जारी हिदायतों में संशोधन करके इन हिदायतों को नवीनतम रूप में गिम्न प्रकार से पढ़ा जाए।

2. पंजाब ग्राम शासलात भूमि (विनियमन) नियमावली, 1964 के नियम 3(2) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत अपनी भूमि विभिन्न उद्देश्यों हेतु प्रयोग कर सकती है। इसके अतिरिक्त नियम 6(5) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायतें सरकार की पूर्वानुमति उपरान्त अपनी भूमि ऐसे उद्देश्यों, जो सरकार द्वारा जनहित के अनुमोदित किये जाये, हेतु पट्टे पर दे सकती है। नियम 6(2ए) में किये गये प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायतें अपनी भूमि निवेशक पंचायत की अनुमति से गोशालाओं को चारा उगाने के लिए पट्टे पर दे सकती है।
3. उक्त प्रावधानों के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायतें अपनी भूमि का प्रयोग आगे स्तर पर गोशालाओं की स्थापना हेतु कर सकती है और ये गोशालाएं रख्यां या किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से भूमि की मलकियत या पट्टा अधिकार दिये/स्थानान्तरित किये बिना गोशालाएं बना सकती है।
4. इसके अतिरिक्त पंचायतों द्वारा इस कार्य को रख्यां न करके, भूमि अन्य एजेन्सी को दिये जाने की अवस्था में गोशालाओं के संचालन की इच्छुक इकाईयों को पंचायत के प्रस्ताव एवं सरकार की पूर्वानुमति उपरान्त गोशाला अथवा नन्दीशाला की स्थापना हेतु खुली बोली के जरिये अथवा एकल बिड़ की अवस्था में न्यूनतम पट्टा राशि 5100/- रु० तथा 7100/- रु० प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से 33 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जा सकता है ताकि स्थापना उपरान्त छांचागत विकास का समुचित लाभ लिया जा सके। इस उद्देश्य हेतु 200-300 पशुओं के लिए 1 एकड़, 500-700 पशुओं के लिए 2 एकड़, 1000-1200 पशुओं के लिए 3 एकड़ भूमि, 2000 पशुओं के लिए 4 एकड़ भूमि तथा इससे अधिक पशुओं के लिए 5 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई जा सकती है।
5. भूमि उपलब्ध करवाने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक होगा तथा प्रस्ताव होने के उपरान्त इच्छुक पार्टीयों द्वारा उपायुक्त अथवा हरियाणा गौ-सेवा आयोग में आवेदन किया जायेगा।
6. आवेदनों की वैद्यता को जांचने हेतु हरियाणा गौ-सेवा आयोग द्वारा जिला स्तर की कमेटी को भेजा जायेगा। इस जिला स्तर की कमेटी में सम्बन्धित जिले के उपायुक्त अध्यक्ष होंगे तथा अतिरिक्त उपायुक्त, अध्यक्ष जिला परिषद्, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिला राजरव अधिकारी एवं उप निवेशक पशुपालन सदस्य होंगे। इस कमेटी द्वारा आवेदनों की वैद्यता जांचने उपरान्त अनुमोदन किया जाएगा।

7. आवेदकों को पारदर्शी तरीके से बोली के द्वारा अथवा एकल बिड (bid) होने की रिक्षति में प्रस्तावित दर पर सम्बन्धित आवेदकों को भूमियां उपलब्ध करवाने वारे विज्ञापन दिये जाने तथा बोली लगाये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा उपायुक्त अथवा उसके किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि अधिकारी जो कार्यप्रणाली से सम्बद्ध हो, जैसे अतिरिक्त उपायुक्त, उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) अथवा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी एवं गौ—सेवा आयोग के प्रतिनिधि की उपरिक्षति में की जायेगी।

8. यद्यपि नन्दीशालाओं हेतु भूमियों की अन्तिम अलॉटमेंट, लम्बे समय की लीज अवधि होने के कारण मंत्रीपरिषद् द्वारा अनुमोदित किया जायेगा, जबकि चारा लगाने हेतु भूमि का अल्पकालीन लीज अवधि होने के कारण अलॉटमेंट का अनुमोदन निदेशक पंचायत के स्तर पर किया जायेगा। पट्टे पर दी गई भूमि को उसी कार्य के लिए प्रयोग किया जाएगा जिस कार्य के लिए यह भूमि दी गई है और गऊशाला / नन्दीशाला की स्थापना एक वर्ष के भीतर की जानी होगी।

9. जहाँ तक ग्राम पंचायत की भूमि रजिस्टर्ड गऊशालाओं के पशुओं के लिए चारे हेतु उपलब्ध करवाने का संबंध है इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि जो भूमि चारान्द के लिए आवश्यित है और कृषि कार्य के लिए पट्टे पर दी जा रही है, ऐसी भूमि को निदेशक पंचायत की पूर्वानुमति उपरान्त वर्ष दर वर्ष आधार पर खुली बोली द्वारा चारा उगाने के लिए निम्न शर्तों पर पट्टे पर दिया जा सकता है:-

1. भूमि को खुली बोली द्वारा पट्टे पर दिया जाएगा। उसी गांव की पंजीकृत गऊशालाओं तथा पड़ोसी गांव की गऊशालाओं के लिए अलग—अलग बोली की कार्यवाही की जाएगी।
2. एक हजार पशुओं के लिए अधिकतम 10 एकड़ भूमि अधिकतम 2 वर्ष के लिए द्वारा उगाने के लिए पट्टे पर दी जा सकती है। पशुओं की संख्या कम या अधिक होने पर उसी अनुपात में कम या अधिक भूमि पट्टे पर दी जाएगी। उसी गांव में रिक्षति पंजीकृति गऊशाला को चारे उगाने के लिए भूमि पट्टे पर देने के लिए न्यूनतम पट्टा राशि 5100/-रु० प्रति एकड़ प्रति वर्ष होगी लेकिन किसी पड़ोसी गांव में रिक्षति गऊशाला को चारा उगाने के लिए भूमि की न्यूनतम पट्टा राशि 7100/-रु० प्रति एकड़ प्रति वर्ष होगी।

[Signature]
उप-अधीक्षक

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग

पृष्ठ क्रमांक एस0बी0ए0-4-2019 / **7522-7774** दिनांक **04-02-2019**

- इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1— महानिदेशक पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग, हरियाणा, पंचकूला।
 - 2— सचिव गौ—सेवा आयोग, हरियाणा, पंचकूला।
 - 3— समस्त अतिरिक्त उपायुक्त, हरियाणा राज्य में।
 - 4— समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, हरियाणा राज्य में।
 - 5— समस्त जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, हरियाणा राज्य में।
 - 6— समस्त जिला राजस्व अधिकारी, हरियाणा राज्य में।
 - 7— समस्त उपनिदेशक पशुपालन, हरियाणा राज्य में।
 - 8— समस्त खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हरियाणा राज्य में।

[Signature]
उप-अधीक्षक

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग
[Signature]